APP-A
Crim-I

FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा

केम्प कोर्ट – फलामादा

सुखदेव पिता हीरा बलाई
निवासी– फलामादा

बनाम

श्रीमति बदाम पत्नि भीमा बलाई,
निवासी– रायला

किस्म मुकदमा– वाद पत्र अन्तर्गतग धारा – 88, 92 ए रा.टी. ए.

प्रकरण संख्या– 270/2013

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.05.2018	पत्रावली आज केम्प कोर्ट फलामादा पर पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस सूने जाने पर अपनी सहमति व्यक्त करने से वकील उभयपक्ष की बहस सूनी गई। वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि वादग्रस्त भूमि घीसा पिता गोकुल बलाई के खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि है, घीसा ने अपने जीवनकाल में प्यारी को नाते लाया जिसके साथ दो पुत्रीयॉ बदामी व रामू साथ आई थी। प्यारी व घीसा से कोई औलाद नही हुई थी, घीसा की मृत्यु के बाद राजस्व ऐजेन्सी के द्वारा घीसा की विरासत का नामान्तकरण बदामी बेवा रामू को उसकी पुत्री बताकर फैसल कर दिया जो नियमों के विपरीत है , वकील वादी का बहस में आगे यह कथन किया कि बदामी व रामू को अपने सगे पिता की सम्पति में व ससूराल में ही हक प्राप्त हो सकते है। घीसा की सम्पति में बदामी व रामू को कोई हक अधिकार प्राप्त नही होते है। वादी सुखदेव ही घीसा का भाई हीरा की सन्तान होकर उसकी सेवा चाकरी करता आ रहा है। अन्त में कथन किया कि घीसा का हकीकी हीरा का वादी एकमात्र नर सन्तान होने से वह अपने नाम हक घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः दावा वादी स्वीकार फरमाया जावें। जबकि वकील प्रतिवादी का कथन था कि प्रतिवादीगण घीसा बलाई की जाईन्दा पुत्रीयॉ होकर उनकी विधि वारिस है। वकील प्रतिवादी ने यह भी कथन किया कि वादी ने गलत व बनावटी तथ्यों के आधार पर यह वाद पत्र प्रस्तुत किया है। घीसा पुत्र गोकुल बलाई के कोई भाई नही था, वादी ने गलत रुप से हीरा को घीसा का हकीकी भाई वर्णित किया है। हीरा, खीया बलाई का पुत्र होकर वादी का पिता है, तथा वादी ने प्रतिवादीगण को लारवाल पुत्रीयॉ भी गलत बताया है जबकि प्रतिवादीगण का जन्म घीसा व उनकी नातायत पत्नि प्यारी देवी से हुआ है। प्रतिवादीगण घीसा बलाई की जायन्दा पुत्रीयॉ है। वादी ने घीसा की जायदाद को नाजायज तौर पर हडप करने की नियत से यह वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है जो खारिज फरमाया जावें।	सहायक कलेक्टर (S. D. O.) गुलाबपुरा जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

मैनें वकील उभयपक्ष को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्न प्रकार से रहा है–

वादी के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 मौजा फलामादा तहसील हुरडा के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर– 296, 297, 298, 299, 1799/133 किता 5 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा भूमि घीसा पिता गोकूल बलाई साकिन देह खातेदार दर्ज रिकार्ड होना तथा नामान्तकरण संख्या– 1198 दिनांक 16.02.2012 विरासत से घीसा के बजाय बदामी, रामू, पुत्री घीसा बलाई का नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है।

यहॉ वादी का कथन है कि वह मृतक खातेदार घीसा की विवाहिता पत्नि जस्सू, लाऔलाद फौत होने के बाद प्यारी से नाता विवाह किया था, तब प्यारी के साथ बदामी व रामू उसके साथ आई थी, इसलिये लारवाल पुत्रीयॉ को घीसा की सम्पति में कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। तथा वह मृतक खातेदार घीसा का हकीकी भाई हीरा का पुत्र होने से घीसा की सम्पति उसके नाम दर्ज करवाई जावें ।

वादी ने अपने कथनों की पृष्टि में किसी भी स्तर की कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही करवाई गई है, जो यह प्रकट करे की प्रतिवादी बदामी व रामू, मृतक खातेदार घीसा की जायन्दा पुत्रीयॉ ना होकर लारवाल पुत्रीयॉ हो। यदि प्रतिवादी बदामी व रामू उनके माता प्यारी देवी के साथ लारवाल आई होती तो वादी उनके वास्तविक पिता के सम्बन्ध में अवश्य कोई साक्ष्य पेश करते यथा उनके पिता का परिवार कार्ड, आधार कार्ड, शिक्षा प्रमाण अथवा किसी भी स्तर का साक्ष्य जिससे बदामी , रामू के पिता का नाम घीसा के बजाय अन्य कोई नाम लिखा हो, बिना किसी आधार के प्रतिवादी को प्यारी की लारवाल पुत्रीयॉ नही होना माना जा सकता, साथ ही मृतक खातेदार घीसा के भाई हीरा, हो इस बाबत भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही करवाई गई है, मात्र घीसा के मृत्यु प्रमाण पत्र के पीछे सजरा बनाकर प्रस्तुत किया गया है , इस सजरे से हीरा मृतक खातेदार घीसा का एकमात्र भाई साबित नही होता है, वादी वास्तव में मृतक खातेदार घीसा का वारिस है तो वह सक्षम न्यायालय से उतराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त कर वादग्रस्त भूमि के लिये हक घोषणा करवाने हेतु स्वतन्त्र है, लिहाजा दावा वादी पूर्ण साक्ष्य के अभाव में खारिज योग्य है।

" निर्णय"

दावा वादी खारिज किया जाता है। तदनुसार डिकी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें ।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

निर्णय आज दिनांक 16.05.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट फलामादा पर सूनाया गया ।

(नन्दकिशार राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner